

# राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज.) ।

## परेड ग्राउण्ड

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग ।	राजस्थान पुलिस अकादमी परेड ग्राउण्ड
2.	अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ ।	(क) सहायक निदेशक (आउटडोर) – प्रशिक्षण एवं अन्य आउटडोर गतिविधियों एवं कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व । (ख) पुलिस उप अधीक्षक (आउटडोर) –आउटडोर से संबंधित समस्त प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों का सम्पादन । (ग) संचित निरीक्षक(प्रशासन) – आउटडोर से संबंधित समस्त कार्यों का प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण । (घ) अन्य परेड ग्राउण्ड सदस्य – 55 – प्रदत्त कार्यों का सम्पादन ।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया ।	सहायक निदेशक(आउटडोर) के एवं समुचित माध्यम द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं ।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड ।	नियमानुसार प्रशिक्षण के कार्यों के निर्वहन के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए आउटडोर प्रशिक्षण के निर्धारित समस्त कर्तव्यों का सम्पादन । इसके साथ ही प्रशिक्षण की आवश्यकतानुसार आउटडोर संकाय के दायित्वों के संबंध में मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन ।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम ।	➤ RSR, RPR & Other Circular Issued By PHQ ➤ प्रशिक्षण निदेशालय, निदेशक आरपीए, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आरपीए, सहायक निदेशक (आउटडोर), आरपीए, पुलिस उप अधीक्षक (आउटडोर) द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन । ➤ आउटडोर प्रशिक्षण सकांय हेतु परेड ग्राउण्ड के दायित्वों के सम्बन्ध में जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन । ➤ समय-समय पर जारी अन्य विनियम ।
6.	श्रेणियों का विवरण ।	परेड ग्राउण्ड सम्बंधी दस्तावेज:- ● उपस्थिति पंजिका आउटडोर ● साप्ताहिक दैनिक प्रशिक्षण आउटडोर सम्बन्धी पत्रावली ।
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण ।	लागू नहीं ।
8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण ।	लागू नहीं ।
9.	अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका ।	सहायक निदेशक (आउटडोर), फोन नं.-0141-2302131, पी.बी.एक्स नं0-506.

10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आंवटित।	लेखा शाखा।
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायते, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर की बेवसाईट पर उपलब्ध।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	लागू नहीं।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय तत् सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।